

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 850वी बैठक दिनांक 15.05.2024  
का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 850वीं बैठक दिनांक 15.05.2024 को श्री अरुण कुमार भट्ट, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एफ्को, पर्यावरण परिसर, भोपाल में सम्पन्न हुई बैठक में निम्न सदस्य स्वयं/विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम उपस्थित थे :-

1. श्री अनिल कुमार शर्मा, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्री संजीव सिंह, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

बैठक के प्रारंभ में प्रभारी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये:-

क्र	प्रकरण क्र.	अधिसूचित श्रेणी	जिला	परियोजना	SEAC द्वारा अनुशंसित/परिवेश पोर्टल पर आवेदित	प्राधिकरण का निर्णय
1.	11078/2023	1 (a)	विदिशा	फर्सी पत्थर खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति	SEAC को वापिस
2.	11075/2023	1 (a)	सिवनी	पत्थर खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
3.	11074/2023	1 (a)	सतना	पत्थर खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
4.	11088/2023	1 (a)	सीहार	पत्थर खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
5.	11076/2023	1 (a)	छतरपुर	मुरुम खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
6.	11083/2023	1 (a)	निवाड़ी	पत्थर खदान	For ToR	स्वीकृत
7.	11092/2023	1 (a)	सिंगरौली	पत्थर खदान	For ToR	स्वीकृत
8.	11082/2023	1 (a)	ग्वालियर	पत्थर खदान	For ToR	स्वीकृत
9.	11089/2023	1 (a)	धार	पत्थर खदान	For ToR	स्वीकृत
10.	11073/2023	1 (a)	सतना	पत्थर एवं एम सैण्ड खदान	For ToR	स्वीकृत
11.	11087/2023	1 (a)	बड़वानी	पत्थर खदान	For ToR	स्वीकृत
12.	11094/2023	1 (a)	उज्जैन	पत्थर खदान	For ToR	स्वीकृत
13.	11079/2023	1 (a)	मण्डला	डोलोमाईट खदान	For ToR	स्वीकृत
14.	11084/2023	1 (a)	मण्डला	डोलोमाईट खदान	For ToR	स्वीकृत
15.	11093/2023	1 (a)	मंदसौर	पत्थर खदान	For ToR	स्वीकृत
16.	11077/2023	1 (a)	मण्डला	डोलोमाईट खदान	For ToR	स्वीकृत
17.	11086/2023	1 (a)	मण्डला	डोलोमाईट खदान	For ToR	स्वीकृत
18.	11071/2023	1 (a)	बड़वानी	पत्थर खदान	For ToR	स्वीकृत

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 850वी बैठक दिनांक 15.05.2024  
का कार्यवाही विवरण

19.	11072/2023	1 (a)	झाबुआ	पत्थर खदान	For ToR	स्वीकृत
20.	11085/2023	1 (a)	सीहोर	पत्थर खदान	For ToR	स्वीकृत
21.	11070/2023	1 (a)	जबलपुर	डोलोमाईट खदान	For ToR	स्वीकृत
22.	11091/2023	1 (a)	नीमच	पत्थर खदान	For ToR	स्वीकृत
23.	11081/2023	1 (a)	निवाडी	पत्थर खदान	For ToR	स्वीकृत
24.	11108/2023	1 (a)	उज्जैन	पत्थर खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
25.	11112/2023	1 (a)	देवास	पत्थर खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
26.	11107/2023	1 (a)	बुरहानपुर	पत्थर खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
27.	11102/2023	1 (a)	खरगौन	पत्थर खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति	स्पष्टीकरण एवं Delist
28.	11105/2023	1 (a)	इन्दौर	पत्थर खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृति
29.	11106/2023	1 (a)	विदिशा	फर्शीपत्थर खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति	SEAC को अग्रेषित
30.	11097/2023	1 (a)	मुरैना	एम. सैण्ड खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
31.	11098/2023	1 (a)	मण्डला	डोलोमाईट खदान	For ToR	स्वीकृत
32.	11099/2023	1 (a)	मण्डला	डोलोमाईट खदान	For ToR	स्वीकृत
33.	11116/2023	1 (a)	ग्वालियर	फर्शी पत्थर खदान	For ToR	स्वीकृत
34.	11100/2023	1 (a)	उज्जैन	पत्थर खदान	For ToR	स्वीकृत
35.	11115/2023	1 (a)	ग्वालियर	पत्थर खदान	For ToR	SEAC को अग्रेषित
36.	11120/2023	1 (a)	रतलाम	पत्थर खदान	For ToR	स्वीकृत
37.	11117/2023	1 (a)	ग्वालियर	पत्थर खदान	For ToR	स्वीकृत
38.	11101/2023	1 (a)	रतलाम	पत्थर खदान	For ToR	स्वीकृत
39.	11095/2023	1 (a)	उज्जैन	पत्थर खदान	For ToR	स्वीकृत
अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अतिरिक्त एजेण्डा						
40.	9684/2023	1 (a)	कटनी	चूना पत्थर खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
41.	11175/2023	1 (a)	सतना	बाक्साईट एवं लेट्राईट खदान	For ToR	स्वीकृत
42.	P- 2/489 /2024	1 (a)	सतना	चूना पत्थर खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति	स्पष्टीकरण
43.	10729/2023	1 (a)	बैतूल	पत्थर खदान	SEAC/SEIAA की अनुसंशा/निर्णय मे संशोधन	SEAC को पुनः परीक्षण हेतु अग्रेषित
44.	10659/2023	1 (a)	छतरपुर	पायरोफलाईट एण्ड डायोस्पोर खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति	संशोधन, SEAC को पुनः परीक्षण हेतु अग्रेषित
नीतिगत निर्णय						

1. प्रकरण क्र. 11078/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री प्रशांत नायक आत्मज श्री गोविंद नायक, निवासी गंजबाशोदा, जिला विदिशा (म.प्र.) द्वारा फर्शी पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 6,250 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.862 हेक्टेयर, खसरा 85/2, 85/3, ग्राम - लहदरा, तहसील बासोदा, जिला विदिशा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 850वी बैठक दिनांक 15.05.2024  
का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 740वी बैठक दिनांक 24.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

भारत सरकार वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन क्रमांक एफ नं. IA3-22/11/2023 - IA. III (E 208230) दिनांक 07.05.2024 में निम्नानुसार निर्देशित कार्यवाही

".....4. In view of the above direction of Hon'ble National Green Tribunal, it is hereby directed that continuance of mining all over India under mining leases executed on the basis of ECs granted by DEIAA after 13.09.2018 is prohibited with the exception in respect of cases where ECs granted by DEIAA for such mining leases have been reappraised and found valid by SEIAA or fresh ECs have been granted by SEIAA....."

के परिपालन में उक्त प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये।

2. प्रकरण क्र. 11075/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री मान सिंह सनोडिया आत्मज श्री इन्दर सिंह सनोडिया, निवासी कान्हरगांव, तहसील व जिला सिवनी (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 9690 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.00 हेक्टेयर, (SEAC द्वारा अनुसंधित रकबा 1.2 हे.) खसरा 182/1, 182/2, 179 ग्राम - कान्हरगांव, तहसील सिवनी, जिला सिवनी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 740वी बैठक दिनांक 24.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 740वी बैठक दिनांक 24.04.2024 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) तथा SEAC की 740वी बैठक दिनांक 24.04.2024 में अधिरोपित समस्त शर्तों सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) सिवनी का आदेश क्र 2784 दिनांक 22.03.2017 एवं पत्र क्र 2726 दिनांक 20.01.2017 के माध्यम से 10 वर्ष (दिनांक 16.01.2017 से 15.01.2027) की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पर्यावरण स्वीकृति जारी होने की दिनांक 15.01.2027 तक वैध मान्य रहेगी।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले पक्की सड़क से न्यूनतम 200 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

(माननीय एनजीटी (प्रिसिपल बेंच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार पत्थर खदान की अनुमति में संवेदनशील क्षेत्रों से न्यूनतम दूरी के लिये निर्धारित मापदण्ड के दृष्टिगत नॉन ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है)। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन हेतु आवंटित कुल 2.00 हे. मे से SEAC द्वारा अनुसंशित खनन योग्य क्षेत्र 1.2 हे. क्षेत्र मे ही उत्खनन कार्य किया जाये। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

3. प्रकरण क्र. 11074/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री महेश चौरसीया आत्मज स्वा. श्री सुरेश चौरसिया निवासी महावीर मार्ग वार्ड 41, पुराना नगर निगम के पास, तहसील रघुराजनगर जिला सतना (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 15000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.723 हेक्टेयर, खसरा 1006/1, 1006/2, 1006/3 ग्राम – सतरी, तहसील रामपुर बघेलान, जिला सतना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 740वी बैठक दिनांक 24.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 740वी बैठक दिनांक 24.04.2024 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) तथा SEAC की 740वी बैठक दिनांक 24.04.2024 में अधिरोपित समस्त शर्तों सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- I. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) सतना का आदेश क्र 21 दिनांक 03.01.2018 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पर्यावरण स्वीकृति जारी होने की दिनांक 02.01.2028 तक वैध मान्य रहेगी।

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष



- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **कच्ची सड़क से न्यूनतम 50 मीटर तक** "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- III. प्रस्तावित खनन क्षेत्र में खनन कार्य के लिये प्रतिबंधित बैरियर जोन में तथा आस-पास उत्खनन हुआ है ऐसा गूगल ईमेज से प्रतीत हो रहा है, इसे रिस्टोर किया जाये। अतः परियोजना प्रस्तावक इस संबंध में जिला खनिज अधिकारी यह अभिप्रमाणीकरण प्राप्त करें कि अवैध खुदाई नहीं है और यदि यह अवैध खुदाई है तो जिला खनिज अधिकारी खनिज नियमों के प्रावधानों के तहत इस संबंध में शीघ्र कार्यवाही करेंगे। उपरोक्त कार्यवाही के पश्चात् ही खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा।
- IV. परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।
- V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद 14 वृक्षों में से काटे जाने वाले 04 पेड़ों के एवज में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के तहत रोपित 40 पौधों का एवं शेष बचे वृक्षों संरक्षण किया जायेगा एवं उक्त पौधों के संरक्षण हेतु ट्री-गार्ड लगाये जायें।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

4. प्रकरण क्र. 11088/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री दर्शन सिंह ठाकुर निवासी मेहतवाडा, तहसील आष्टा, जिला सीहोर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 4959 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.00 हेक्टेयर, खसरा 203/1/ग ग्राम - कबीरखेडी, तहसील जावर, जिला सीहोर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 740वीं बैठक दिनांक 24.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 740वीं बैठक दिनांक 24.04.2024 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

शर्तों (परिशिष्ट-1) तथा SEAC की 740वी बैठक दिनांक 24.04.2024 में अधिरोपित समस्त शर्तों सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- I. संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म म.प्र. का आदेश क्र 5947-48 दिनांक 16/04/21 के माध्यम से दिनांक 06.04.2021 से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पर्यावरण स्वीकृति जारी होने की दिनांक 5.04.2031 तक वैध मान्य रहेगी।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले मंदिर से न्यूनतम 50 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

5. प्रकरण क्र. 11076/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री रेखा खरे पत्नी श्री रीतेश खरे निवासी, वार्ड न. 6, शिल्पशाला मार्ग लोहिया जिला छतरपुर (म.प्र.) द्वारा मुरुम खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 45,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.50 हेक्टेयर, खसरा 212, ग्राम - परा, तहसील व जिला छतरपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 740वी बैठक दिनांक 24.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 740वी बैठक दिनांक 24.04.2024 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) तथा SEAC की 740वी बैठक दिनांक 24.04.2024 में अधिरोपित समस्त शर्तों सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- I. संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म म.प्र. का आदेश क्र 9000-28 दिनांक 14/07/23 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पर्यावरण स्वीकृति जारी होने की दिनांक 13/07/2033 तक वैध मान्य रहेगी।

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष



- II. संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म म.प्र. का आदेश क 9000-28 दिनांक 14/07/23 के माध्यम से सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है जिसमें लीज की वैधता अंकित नहीं है। अतः परियोजना प्रस्तावक लीज वैधता का आदेश परिवेश पोर्टल पर अपलोड करें।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले गौशाला से न्यूनतम 100 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले कच्ची सड़क से न्यूनतम 50 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- V. छतरपुर जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद वृक्ष को काटा नहीं जाये अपितु रोपित 10 पौधों का संरक्षण किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक को स्वीकृत की गई पर्यावरणीय स्वीकृति प्राधिकरण द्वारा अधिरोपित विशिष्ट शर्तों के बिंदु। के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही पूर्ण करने के उपरांत ही जारी की जा सकेगी।

6. प्रकरण क्र. 11083/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री अनुराग तिवारी आत्मज श्री अखिलेश तिवारी निवासी 756/1, सी.पी. मिशन कम्पाउड, जिला झांसी (उ.प्र.) द्वारा फर्शी पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता विस्तार 18000 घनमीटर प्रतिवर्ष से 1,50,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.50 हेक्टेयर, खसरा 1106/1, ग्राम - सकूली, तहसील व जिला निवाड़ी, (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 740वी बैठक दिनांक 24.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 740वी बैठक दिनांक 24.04.2024 में की विशिष्ट शर्तों एवं मानक शर्तों (संलग्नक-डी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-5) सहित प्रकरण में ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में डिया द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का सक्षम प्राधिकारी से अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन ईआईए के साथ प्रस्तुत किया जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश की जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

7. प्रकरण क्र. 11092/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री रुद्र गुप्ता आत्मज श्री मनीष गुप्ता निवासी खाड़िया बाजार प्रोस्ट-योगी चौरा, जिला सोनभद्र (उ.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता विस्तार 35000 घनमीटर प्रतिवर्ष, से 83,790 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.85 हेक्टेयर, खसरा 122/2, ग्राम - करामी, तहसील माड़ा, जिला सिंगरौली (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 740वी बैठक दिनांक 24.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 740वी बैठक दिनांक 24.04.2024 में की विशिष्ट शर्तों एवं मानक शर्तों (संलग्नक-डी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-5) सहित प्रकरण में ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष



इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।

- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में डिया द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का सक्षम प्राधिकारी से अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन ईआईए के साथ प्रस्तुत किया जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश की जाये

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

8. प्रकरण क्र. 11082/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स श्री जी स्टोन्स श्री प्रतीक खण्डेलवाल आत्मज श्री आर.पी. खण्डेलवाल निवासी काली माई संतर, मुरार, जिला ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 33000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.50 हेक्टेयर, खसरा 3717/2, ग्राम - बिलौआ, तहसील डबरा, जिला ग्वालियर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 740वीं बैठक दिनांक 24.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 740वीं बैठक दिनांक 24.04.2024 में की विशिष्ट शर्तों एवं मानक शर्तों (संलग्नक-डी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-5) सहित प्रकरण में ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में डिया द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का सक्षम प्राधिकारी से अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन ईआईए के साथ प्रस्तुत किया जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश की जाये

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

9. प्रकरण क्र. 11089/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स तिरुपति स्टोन केशर प्रो. श्री अतुल कुमार जजोदिया निवासी 1093, सुदामा नगर, माता मंदिर के पास जिला इंदौर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 28,500 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा 1022/2, ग्राम - खेडा, तहसील पिथमपुर, जिला धार (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 740वीं बैठक दिनांक 24.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 740वीं बैठक दिनांक 24.04.2024 में की विशिष्ट शर्तों एवं मानक शर्तों (संलग्नक-डी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-5) सहित प्रकरण में ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश की जाये

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

10. प्रकरण क्र. 11073/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स एस. आई. स्टोन केशर श्री गिरीश पुरी आत्मज श्री चरणजीत सिंह पुरी निवासी कृष्ण नगर, तहसील रघुराजनगर, जिला सतना (म.प्र.) द्वारा पत्थर एवं एम, स्टोन खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता स्टोन 4200 घनमीटर एवं एम-स्टोन 9800 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.120 हेक्टेयर, खसरा 716/2/3/2, ग्राम - बम्हौर तहसील नागोद, जिला सतना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष



राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 740वीं बैठक दिनांक 24.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 740वीं बैठक दिनांक 24.04.2024 में की विशिष्ट शर्तों एवं मानक शर्तों (संलग्नक-डी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-5) सहित प्रकरण में ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश की जाये

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

11. प्रकरण क्र. 11087/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री सुमित यादव आत्मज श्री शिवनरायण यादव निवासी 11, साईनाथ कालोनी, इंद्रजीद अस्पताल के सामने, वार्ड 8, बडवानी, जिला बडवानी (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 21,825 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.994 हेक्टेयर, खसरा 51/1-क, 52/1, ग्राम - लोनसरा, तहसील व, जिला बडवानी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 740वीं बैठक दिनांक 24.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 740वीं बैठक दिनांक 24.04.2024 में की विशिष्ट शर्तों एवं मानक शर्तों (संलग्नक-डी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-5) सहित प्रकरण में ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।

- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश की जाये

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

12. प्रकरण क्र. 11094/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री ओकार स्टोन केशर, पार्टनर श्री मानस आत्मज श्री मनोज जिंदल निवासी बी-18/10, बसंत बिहार, उज्जैन, जिला उज्जैन (म.प्र.) 456001 द्वारा फर्शी पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 14550 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.50 हेक्टेयर, खसरा 188, ग्राम - सुरजनवासा, तहसील व, जिला उज्जैन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 740वी बैठक दिनांक 24.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 740वी बैठक दिनांक 24.04.2024 में की विशिष्ट शर्तों एवं मानक शर्तों (संलग्नक-डी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-5) सहित प्रकरण में ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश की जाये

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष



13. प्रकरण क्र. 11079/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री राजकुमार अग्रवाल निवासी तिलक वार्ड, मण्डला जिला मण्डला (म.प्र.) द्वारा डालोमाईट खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 48,964 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.205 हेक्टेयर, खसरा 93, ग्राम - भाटियाटोला, तहसील नैनपुर, जिला मण्डला (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 740वी बैठक दिनांक 24.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 740वी बैठक दिनांक 24.04.2024 में की विशिष्ट शर्तों एवं मानक शर्तों (संलग्नक-डी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-5) सहित प्रकरण में ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश की जाये

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

14. प्रकरण क्र. 11084/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री राजकुमार अग्रवाल निवासी तिलक वार्ड, जिला मण्डला (म.प्र.) द्वारा डालोमाईट खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 52,976 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.30 हेक्टेयर, खसरा 94, ग्राम - भाटियाटोला, तहसील नैनपुर, जिला मण्डला (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 740वी बैठक दिनांक 24.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 740वी बैठक दिनांक 24.04.2024 में की विशिष्ट शर्तों एवं मानक शर्तों (संलग्नक-डी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-5) सहित प्रकरण में ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश की जाये
- III. प्रस्तावित खदान वन भूमि से 250 मी. से अन्दर स्थित है, उक्त के संबंध में संभागीय आयुक्त जबलपुर की अध्यक्षता में गठित वन समिति की अनुशंसा ईआईए के साथ प्रस्तुत करें।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

15. प्रकरण क्र. 11093/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री ईश्वर पाटीदार आत्मज श्री अंबालाल पाटीदार निवासी मकान न. 444, वार्ड नं. 15, तहसील दलौदा, जिला मंदसौर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 8000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा 840, ग्राम - बानीखेडी, तहसील दलौदा, जिला मंदसौर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 740वी बैठक दिनांक 24.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 740वी बैठक दिनांक 24.04.2024 में की विशिष्ट शर्तों एवं मानक शर्तों (संलग्नक-डी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-5) सहित प्रकरण में ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष



प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश की जाये

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

16. प्रकरण क्र. 11077/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स हनुमान माइन्स एवं मिनरल प्रा.लि., निर्देशक श्री बलराम अग्रवाल निवासी 212, अरिहंत काम्पलेस, स्टेशन रोड, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़) द्वारा डोलोमाईट खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 24944 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.70 हेक्टेयर, खसरा 107/1 से 107/5, ग्राम - भटियाटोला, तहसील नैनपुर, जिला मण्डला (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 740वी बैठक दिनांक 24.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 740वी बैठक दिनांक 24.04.2024 में की विशिष्ट शर्तों एवं मानक शर्तों (संलग्नक-डी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-5) सहित प्रकरण में ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश की जाये
- III. प्रस्तावित खदान वन भूमि से 250 मी. से अन्दर स्थित है, उक्त के संबंध में संभागीय आयुक्त जबलपुर की अध्यक्षता में गठित वन समिति की अनुशंसा ईआईए के साथ प्रस्तुत करें।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

17. प्रकरण क्र. 11086/2023 परियोजना प्रस्तावक श्रीमति लक्ष्मी अग्रवाल निवासी 7/26, तिलक वार्ड, सिविल लाईन, जिला कोतवाली के सामने जिला मण्डला (म.प्र.) द्वारा डोलोमाईट खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 6988 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.80 हेक्टेयर, खसरा 97, ग्राम - भटियाटोला, तहसील नैनपुर, जिला मण्डला (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 740वीं बैठक दिनांक 24.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 740वीं बैठक दिनांक 24.04.2024 में की विशिष्ट शर्तों एवं मानक शर्तों (संलग्नक-डी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-5) सहित प्रकरण में ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश की जाये।
- III. प्रस्तावित खदान वन भूमि से 250 मी. से अन्दर स्थित है, उक्त के संबंध में संभागीय आयुक्त जबलपुर की अध्यक्षता में गठित वन समिति की अनुशंसा ईआईए के साथ प्रस्तुत करें।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

18. प्रकरण क्र. 11071/2023 परियोजना प्रस्तावक श्रीमती सलोनी यादव पत्नी श्री विक्रम यादव निवासी 55, जवाहर मार्ग, वार्ड कालिका माता मंदिर, जिला बड़वानी (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 21825 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा 35/5, 36/1, 38/1, 39/1, 50/1, 51/1क, 52/1 ग्राम - लोनसरा बुजुर्ग, तहसील व जिला बड़वानी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 740वीं बैठक दिनांक 24.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 740वीं बैठक दिनांक 24.04.2024 में की विशिष्ट शर्तों एवं मानक शर्तों (संलग्नक-डी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-5) सहित प्रकरण में ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष



- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश की जाये

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

19. प्रकरण क्र. 11072/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स कृष्णा स्टोन केशर प्रो. श्री सुशील शर्मा आत्मज विधाराम शर्मा निवासी 09, सिद्धेश्वर कालोनी, वार्ड नं. 18, जिला झाबुआ (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 12125 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.80 हेक्टेयर, खसरा 581, 586, 587/1,2,3 588/1,2 590 ग्राम – देवझिरी पण्डा, तहसील व जिला झाबुआ (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 740वी बैठक दिनांक 24.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 740वी बैठक दिनांक 24.04.2024 में की विशिष्ट शर्तों एवं मानक शर्तों (संलग्नक-डी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-5) सहित प्रकरण में ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश की जाये

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

20. प्रकरण क्र. 11085/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री इकबाल अहमद आत्मज श्री इफितेखार अहमद निवासी ए-202, रिंगलिया हाईट कोहेफिजा, तहसील हुजूर जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 8000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा 357, ग्राम - गुड़भेला, तहसील सिहोर, जिला सिहोर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 740वी बैठक दिनांक 24.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 740वी बैठक दिनांक 24.04.2024 में की विशिष्ट शर्तों एवं मानक शर्तों (संलग्नक-डी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-5) सहित प्रकरण में ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश की जाये

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

21. प्रकरण क्र. 11070/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स भेड़ाघाट मिनरल्स प्रो. श्री अजय अग्रवाल निवासी 105, गढ़ाफाटक, जिला जबलपुर (म.प्र.) द्वारा डोलोमाईट खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 32675 टन प्रतिवर्ष, रकबा 4.05 हेक्टेयर, खसरा 26, ग्राम - एंठाखेड़ा, तहसील व, जिला जबलपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 740वी बैठक दिनांक 24.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 740वी बैठक दिनांक 24.04.2024 में की विशिष्ट शर्तों एवं मानक शर्तों (संलग्नक-डी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-5) सहित प्रकरण में ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश की जाये

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

22. प्रकरण क्र. 11091/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री कमलेश धाकड आत्मज श्री छितर मल धाकड निवासी झंनतला गांव के पास, तहसिल सिंगोली, जिला नीमच (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 50000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.00 हेक्टेयर, खसरा 1165/1, ग्राम - फुसरिया, तहसील सिंगोली, जिला नीमच (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 740वी बैठक दिनांक 24.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 740वी बैठक दिनांक 24.04.2024 में की विशिष्ट शर्तों एवं मानक शर्तों (संलग्नक-डी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-5) सहित प्रकरण में ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश की जाये

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

23. प्रकरण क्र. 11081/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री अनुज तिवारी आत्मज श्री अखिलेश तिवारी निवासी 756/1, सी.पी. मिशन कम्पाउड, जिला झॉसी (उ.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता विस्तार 50000 घनमीटर प्रतिवर्ष से 200000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.00 हेक्टेयर, खसरा 927, ग्राम - सकुली, तहसील निवाडी, जिला निवाडी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 740वी बैठक दिनांक 24.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 740वी बैठक दिनांक 24.04.2024 में की विशिष्ट शर्तों एवं मानक शर्तों (संलग्नक-डी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-5) सहित प्रकरण में ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में डिया द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का सक्षम प्राधिकारी से अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन ईआईए के साथ प्रस्तुत किया जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश की जाये

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

24. प्रकरण क्र. 11108/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री जावेद खान आत्मज श्री अजमत खान निवासी 43, आसिफ अली गली दिलदारपुरा, माहिदपुर, जिला उज्जैन (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष



सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 5130 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.00 हेक्टेयर, खसरा 44, ग्राम - कुकनी, तहसील माहिदपुर, जिला उज्जैन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 741वी बैठक दिनांक 25.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 741वी बैठक दिनांक 25.04.2024 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) तथा SEAC की 741वी बैठक दिनांक 25.04.2024 में अधिरोपित समस्त शर्तों सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- I. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) उज्जैन का आदेश क्र 406 दिनांक 25.02.2017 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पर्यावरण स्वीकृति जारी होने की दिनांक 24.02.2027 तक वैध मान्य रहेगी।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले पक्की सड़क से न्यूनतम 200 मीटर तक" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। (माननीय एनजीटी (प्रिंसिपल बेंच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार पत्थर खदान की अनुमति में संवेदनशील क्षेत्रों से न्यूनतम दूरी के लिये निर्धारित मापदण्ड के दृष्टिगत नॉन ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है)। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले सेड से न्यूनतम 50 मीटर तक" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

25. प्रकरण क्र. 11112/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री संजय गौड आत्मज श्री सूरज सिंह गौड निवासी 1/3, राधा गंज देवास, जिला देवास (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 21298 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.70 हेक्टेयर, खसरा 431, 432/2, 433, 442, 443 ग्राम - मेरखेड़ी, तहसील व जिला देवास (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 741वी बैठक दिनांक 25.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 741वी बैठक दिनांक 25.04.2024 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) तथा SEAC की 741वी बैठक दिनांक 25.04.2024 में अधिरोपित समस्त शर्तों सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- I. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) देवास का आदेश क्र 961 दिनांक 02.06.2016 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पर्यावरण स्वीकृति जारी होने की दिनांक 01.06.2026 तक वैध मान्य रहेगी।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले कच्ची सड़क से न्यूनतम 50 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष



V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

26. प्रकरण क्र. 11107/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री अनिल राठौर आत्मज श्री कडू राठौर निवासी ग्राम जैनाबाद, तहसिल व जिला बुरहानपुर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 10260 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.90 हेक्टेयर (SEAC द्वारा अनुसंधित रकबा 1.33 हे.), खसरा 159/2, ग्राम - मोरदड खुर्द, तहसील बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 741वीं बैठक दिनांक 25.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 741वीं बैठक दिनांक 25.04.2024 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) तथा SEAC की 741वीं बैठक दिनांक 25.04.2024 में अधिरोपित समस्त शर्तों सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- I. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) बुरहानपुर का पत्र क्र 6412 दिनांक 13.09.2017 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पर्यावरण स्वीकृति जारी होने की दिनांक 12.09.2027 तक वैध मान्य रहेगी।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले कच्ची सड़क से न्यूनतम 50 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन हेतु आवंटित कुल 1.90 हे. में से SEAC द्वारा अनुसंधित खनन योग्य क्षेत्र 1.33 हे. क्षेत्र में ही उत्खनन कार्य किया जाये। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

27. प्रकरण क्र. 11102/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री पीयूष चंदेल आत्मज श्री सुरेश चंदेल, निवासी बिष्ठान रोड़, -खरगोन, जिला-खरगोन (म0प्र0) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 8550 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.0 हे0, खसरा क्रमांक 05, 07, ग्राम मोमिनपुरा, तहसील खरगोन, जिला- खरगोन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 741वी बैठक दिनांक 25.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 741वी बैठक दिनांक 25.04.2024 निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

".....प्रस्तावित खदान के पूर्व दिशा में 411 मीटर पर 02 शेड है, पूर्व-पश्चिम की ओर एक रोड़ निकल रहा है, इस संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह हॉलेज रोड़ एवं परिवहन मार्ग है, खदान क्षेत्र 02 भागों में है इस संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि न्यूनतम 1.0 हे. तक का नियम होने के कारण लीज 02 भागों में स्वीकृत की गई।....."

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान के अक्षांश देशांश के अनुसार गूगल ईमेज के आधार पर प्रस्तावित खदान क्षेत्र हॉलेज रोड़ एवं परिवहन मार्ग है, जिससे खदान क्षेत्र 02 भागों में विभक्त हो रही है, जिससे लोगो का आवागमन/परिवहन होता एवं खदान में ब्लास्टिंग प्रस्तावित है। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है। उपरोक्त लीज क्षेत्र बीच से निकल रहे परिवहन मार्ग का वैकल्पिक मार्ग प्रदान की जायेगा अथवा नहीं ? संवेदनशिलता की दृष्टिगत कलेक्टर खरगोन से स्पष्ट अभिमत प्राप्त किया जाये। तदानुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

28. प्रकरण क्र. 11105/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री राजेश तिवारी आत्मज श्री महेश प्रसाद तिवारी निवासी ग्राम सानवदिया, तहसिल व जिला इंदौर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 10000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.30 हेक्टेयर, खसरा 230, ग्राम - सानवदिया, तहसील इंदौर, जिला इंदौर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष



राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 741वी बैठक दिनांक 25.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 741वी बैठक दिनांक 25.04.2024 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) तथा SEAC की 741वी बैठक दिनांक 25.04.2024 में अधिरोपित समस्त शर्तों सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- I. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) इंदौर का पत्र क्र 1415 दिनांक 27.10.2016 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पर्यावरण स्वीकृति जारी होने की दिनांक 26.10.2026 तक वैध मान्य रहेगी।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले फायर रेंज से न्यूनतम 200 मीटर तक" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। (माननीय एनजीटी (प्रिसिपल बेंच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार पत्थर खदान की अनुमति में संवेदनशील क्षेत्रों से न्यूनतम दूरी के लिये निर्धारित मापदण्ड के दृष्टिगत नॉन ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है)। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

29. प्रकरण क्र. 11106/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री राजिव शर्मा आत्मज श्री गजेन्द्र शर्मा निवासी ग्राम पठारी, तहसिल पठारी जिला विदिशा (म.प्र.) द्वारा फर्शी पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 8640 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.13 हेक्टेयर, खसरा 11/1, 7/4, ग्राम - रामगढ़, तहसील पठारी, जिला विदिशा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 850वीं बैठक दिनांक 15.05.2024  
का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 741वीं बैठक दिनांक 25.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

भारत सरकार वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन क्रमांक एफ नं. IA3-22/11/2023 - IA. III (E 208230) दिनांक 07.05.2024 में निम्नानुसार निर्देशित कार्यवाही

".....4. In view of the above direction of Hon'ble National Green Tribunal, it is hereby directed that continuance of mining all over India under mining leases executed on the basis of ECs granted by DEIAA after 13.09.2018 is prohibited with the exception in respect of cases where ECs granted by DEIAA for such mining leases have been reappraised and found valid by SEIAA or fresh ECs have been granted by SEIAA....."

के परिपालन में उक्त प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये।

30. प्रकरण क्र. 11097/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री महेन्द्र प्रताप सिंह आत्मज श्री सत्यस्वरूप सिंह निवासी मकान क्र. 24, वानखंडी रोड़, चंबल कालोनी के पास, शिवनगर मुरैना जिला मुरैना (म.प्र.) द्वारा, एम-सेंड खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 40000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.340 हेक्टेयर, खसरा 1269पी, ग्राम - अरदौनी, तहसील बामोर, जिला मुरैना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 741वीं बैठक दिनांक 25.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 741वीं बैठक दिनांक 25.04.2024 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-1 तथा SEAC की 741वीं बैठक दिनांक 25.04.2024 में अधिरोपित समस्त शर्तों सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

1. संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश का पत्र क्र 13110 दिनांक 04.10.2023 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पर्यावरण स्वीकृति जारी होने की दिनांक 03.10.2033 तक वैध मान्य रहेगी।
- II. मुरैना जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष



के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद 07 वृक्षों में से काटे जाने वाले 07 पेड़ों के एवज में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के तहत रोपित 70 पौधों का एवं शेष बचे वृक्षों संरक्षण किया जायेगा एवं उक्त पौधों के संरक्षण हेतु ट्री-गार्ड लगाये जायें।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

31. प्रकरण क्र. 11098/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स सालासर मिनरल्स प्रो. श्री विभोर अग्रवाल निवासी 7/101, सिविल लाईन, तिलक वार्ड, मण्डला जिला मण्डला (म.प्र.) द्वारा डोलोमाईट खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 50721 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.26 हेक्टेयर, खसरा 104, ग्राम - भटियाटोला, तहसील नैनपुर, जिला मण्डला (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 741वीं बैठक दिनांक 25.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 741वीं बैठक दिनांक 25.04.2024 में की विशिष्ट शर्तों एवं मानक शर्तों (संलग्नक-डी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-5) सहित प्रकरण में ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।
- II. प्रस्तावित खदान वन भूमि से 250 मी. से अन्दर स्थित है, उक्त के संबंध में संभागीय आयुक्त जबलपुर की अध्यक्षता में गठित वन समिति की अनुशंसा ईआईए के साथ प्रस्तुत करें।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश की जाये।

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

32. प्रकरण क्र. 11099/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स सालासर मिनरल्स प्रो., श्री विभोर अग्रवाल निवासी 7/101, सिविल लाईन, तिलक वार्ड, मण्डला जिला मण्डला (म.प्र.) द्वारा डोलोमाईट खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 35915 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.82 हेक्टेयर, खसरा 101/1, 101/2, 101/3, ग्राम - भटियाटोला, तहसील नैनपुर, जिला मण्डला (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 741वीं बैठक दिनांक 25.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 741वीं बैठक दिनांक 25.04.2024 में की विशिष्ट शर्तों एवं मानक शर्तों (संलग्नक-डी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-5) सहित प्रकरण में ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।
- II. प्रस्तावित खदान वन भूमि से 250 मी. से अन्दर स्थित है, उक्त के संबंध में संभागीय आयुक्त जबलपुर की अध्यक्षता में गठित वन समिति की अनुशंसा ईआईए के साथ प्रस्तुत करें।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश की जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

33. प्रकरण क्र. 11116/2023 परियोजना प्रस्तावक श्रीमती बत्ती आदिवासी विधिक वारिष श्री अकाश आदिवासी निवासी ग्राम-सिरोल फार्म 5 न., पोस्ट-छिमक, तहसिल डबरा, जिला ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा फर्शी पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 5000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा 1816पी, ग्राम - जखौदा, तहसील घाटीगांव, जिला ग्वालियर (म. प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष



राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 741वी बैठक दिनांक 25.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 741वी बैठक दिनांक 25.04.2024 में की विशिष्ट शर्तों एवं मानक शर्तों (संलग्नक-डी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-5) सहित प्रकरण में ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश की जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा श्री अकाश आदिवासी को विधिक वारिष होने के संबंध में कनुनी दस्तावेज ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

34. प्रकरण क्र. 11100/2023 परियोजना प्रस्तावक श्रीमती अंशु बाई चौहान पत्नी श्री रामेश्वर चौहान निवासी ग्राम जम्बूरा, तहसिल व जिला उज्जैन (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 15000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.00 हेक्टेयर, खसरा 311, ग्राम - गुनइखालसा, तहसील उज्जैन, जिला उज्जैन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 741वी बैठक दिनांक 25.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 741वी बैठक दिनांक 25.04.2024 में की विशिष्ट शर्तों एवं मानक शर्तों (संलग्नक-डी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-5) सहित प्रकरण में ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 850वी बैठक दिनांक 15.05.2024  
का कार्यवाही विवरण

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश की जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

35. प्रकरण क्र. 11115/2023 परियोजना प्रस्तावक मे. माहाकालेश्वर स्टोन केशर पाटनर श्री राकेश कुमार मंगल आत्मज श्री रामनिवाश मंगल, निवासी सरमथुरा, जिला ढोलपुर (राज.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 14421 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 0.840 हेक्टेयर, खसरा 136/2, ग्राम - रफदपुर, तहसील डबरा, जिला ग्वालियर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 741वी बैठक दिनांक 25.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

भारत सरकार वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन क्रमांक एफ नं. IA3-22/11/2023 - IA. III (E 208230) दिनांक 07.05.2024 में निम्नानुसार निर्देशित कार्यवाही

".....4. In view of the above direction of Hon'ble National Green Tribunal, it is hereby directed that continuance of mining all over India under mining leases executed on the basis of ECs granted by DEIAA after 13.09.2018 is prohibited with the exception in respect of cases where ECs granted by DEIAA for such mining leases have been reappraised and found valid by SEIAA or fresh ECs have been granted by SEIAA....."

के परिपालन में उक्त प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये।

36. प्रकरण क्र. 11120/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री नंद शर्मा आत्मज श्री रामकिशन शर्मा निवासी 80, संज्जन मिल रोड, जिला रतलाम (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 8550 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.00 हेक्टेयर, खसरा 136/1/1/1, ग्राम - बंजली, तहसील रतलाम, जिला रतलाम (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष



राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 741वी बैठक दिनांक 25.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 741वी बैठक दिनांक 25.04.2024 में की विशिष्ट शर्तों एवं मानक शर्तों (संलग्नक-डी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-5) सहित प्रकरण में ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान के पास स्थित बालाजी इन्डस्ट्रीज से स्पष्ट दूरी का विवरण ईआईए में समावेश की जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश की जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

37. प्रकरण क्र. 11117/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री ब्रजेश गुप्ता आत्मज श्री शिवदयाल गुप्ता निवासी झॉंसी रोड, बल्ला का डेरा, तहसील डबरा, जिला ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा फर्शी पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 30000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.563 हेक्टेयर, खसरा 234/3, ग्राम - गंगापुर, तहसील डबरा, जिला ग्वालियर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 741वी बैठक दिनांक 25.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 741वी बैठक दिनांक 25.04.2024 में की विशिष्ट शर्तों एवं मानक शर्तों (संलग्नक-डी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-5) सहित प्रकरण में ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश की जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

38. प्रकरण क्र. 11101/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री लक्ष्मीकांत राठौर आत्मज श्री गणपतलाल राठौर निवासी मकान न. 44, वार्ड नं. 23, रामगढ़, तेलियो की सड़क, जिला रतलाम (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 5130 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा 3/1/1/1, ग्राम - संवलियारुण्डी, तहसील रतलाम, जिला रतलाम (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 741वी बैठक दिनांक 25.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 741वी बैठक दिनांक 25.04.2024 में की विशिष्ट शर्तों एवं मानक शर्तों (संलग्नक-डी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-5) सहित प्रकरण में ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश की जाये।

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष



परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

39. प्रकरण क्र. 11095/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री सुनिल यादव आत्मज श्री सुरेश चंद्र यादव निवासी माधोपुर रेलवे स्टेशन रोड, रूनिजा, तहसिल बडनगर, जिला उज्जैन (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 10000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा 666, ग्राम – बरडिया, तहसील बडनगर, जिला उज्जैन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 741वी बैठक दिनांक 25.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 741वी बैठक दिनांक 25.04.2024 में की विशिष्ट शर्तों एवं मानक शर्तों (संलग्नक-डी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-5) सहित प्रकरण में ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश की जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अतिरिक्त एजेण्डा-


40. प्रकरण क्र. 9684/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री जितेन्द्र कुशवाह, निवासी- 541, आदर्श कॉलोनी, राम मनोहर लोहिया वार्ड, मुरवारा, जिला कटनी (म.प्र.) द्वारा चूनापत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 1,11,762.56टन प्रतिवर्ष, खसरा नं. 728, 729, 737, 738, 739, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 817, 818, रकबा 24.850 हेक्टेयर, ग्राम जमुवानीकला, तहसील विजयराघौगढ़, जिला कटनी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।



(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव



(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य



(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 723वी बैठक दिनांक 16.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशांसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 846वी बैठक दिनांक 25.04.2024 द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश अनुसार लीज क्षेत्र पूर्व से खुदा हुआ परिलक्षित है जिसके संबंध में लीज स्वीकृति आदेश एवं SEAC के कार्यवाही विवरण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है तथा उक्त लीज क्षेत्र के अंदर से एवं लीज से लगा हुआ कच्चा रोड़ भी परिलक्षित है। अतः उपरोक्त पर्यावरण संवेदनशीलता के दृष्टिगत परियोजना प्रस्तावक अपने अधिकृत पर्यावरण सलाहकार के साथ प्राधिकरण के समक्ष दस्तावेज सहित स्पष्टीकरण हेतु उपस्थित हों।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ADS एवं ई-मेल दिनांक 12.04.2024 के माध्यम से प्रकरण में स्पष्टीकरण हेतु प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होने का अनुरोध किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक श्री गौरव कुशवाहा एवं पर्यावरणीय सलाहकार सुश्री शिल्पा संजय सिंह, मैसर्स P and M Solutions, Noida (U.P.) के साथ प्राधिकरण के समक्ष स्पष्टीकरण हेतु उपस्थित हुये परियोजना प्रस्तावक द्वारा ADS के माध्यम से प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण उपरांत यह पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा ड्रैनेज पैटर्न, एयर माडलिंग का विवरण, क्लास्टर मैनेजमेन्ट प्लान एवं कान्टीनिवस मानिटिरिंग इक्यूपमेन्ट आदि की स्पष्ट जानकारी नहीं प्रदान की गई है। अतः राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) प्रकरण पर पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी 7 दिवस में प्राधिकरण में प्रस्तुत करें। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई-मेल दिनांक 25.04.2024 के माध्यम से उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी को मान्य किया गया एवं SEAC की 723वी बैठक दिनांक 16.02.2024 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशांसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-4) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

1. खनिज शाधन विभाग मध्यप्रदेश का पत्र क्र. 2440/130/2022 /12-2 दिनांक 18.05.2022 के माध्यम से 50 वर्ष तक के लिये स्वीकृत की गई है। अतः यह पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 13.12.2022 अनुसार जारी दिनांक से 30 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले कच्ची सड़क से न्यूनतम 50 मीटर तक" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष



- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।
- V. परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये

41. प्रकरण क्र.11175/2024 परियोजना प्रस्तावक श्री संजय राय, निवासी- होटल उत्सव विला सर बल्लभ भाई पटेल बृज, हृदयनगर दमोह जिला दमोह (म.प्र.) द्वारा बाक्सार्ट एवं लेट्राईट खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता बाक्सार्ट 58970 घनमीटर प्रतिवर्ष, लेट्राईट घनमीटर प्रतिवर्ष, 52836, एवं ओ.बी 4718 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 64/1 रकबा 9.049 हेक्टेयर, ग्राम बरूआ, तहसील मझागवाँ, जिला सतना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 744वी बैठक दिनांक 29.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 744वी बैठक दिनांक 29.04.2024 में की विशिष्ट शर्तों एवं मानक शर्तों (संलग्नक-डी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-5) सहित प्रकरण में ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश की जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

42. प्रकरण क्र. P-2/489/2024 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स डालमिया सीमेन्ट (भारत) लिमि., श्री कार्तिकेयन वी., सहायक संचालक निवासी- पो. कल्लाकुडी, तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु (तमिलनाडु) द्वारा चूनापत्थर खदान (ओपनकास्ट फुली मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 0.46 मिलियन टन मिट्टी 0.1 मिलियन टन प्रतिवर्ष, ओवरवर्डन 0.36 मिलियन टन प्रतिवर्ष खसरा नं. ग्राम बदरखां 200, 201/1, 201/2, 202, 203, 206, 207, व अन्य ग्राम बिगोड़ी खसरा नं. 90/1, 90/2, 91/1/1, 91/1/2, एवं अन्य ग्राम सन्नेही, सगटी 101/1/k, 101/1/kh, 101/2, एवं अन्य, रकबा 121.1 हेक्टेयर, तहसील अमरपाटन, जिला सतना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 747वी बैठक दिनांक 02.05.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

- SEAC की 747वी बैठक दिनांक 02.05.2024 अनुसार ".....खदान क्षेत्र में लगभग 85 पेड़ हैं जो खनन के दौरान काटे जायेंगे जिसके एवज में कुल 850 पेड़ लगाये जायेंगे।....." अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (कम से कम 04 फिट उंचाई तक के पौधों का रोपण) के लक्ष्य को पूर्ण कर स्थल के फोटोग्राफ मय अक्षांश देशांश सहित एवं साथ ही वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध जल स्रोत तथा प्रतिदिन जल की उपलब्ध मात्रा की जानकारी।
- प्रस्तावित खदान के स्वीकृत क्षेत्र में मानव बसाहट स्थित है के संबंध में (ग्राम बदरखां, बिगोड़ी, सन्नेही एवं सगटी) ग्रामों की ग्राम पंचायत अनापत्ति ठहराव प्रस्ताव सहित जानकारी।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल आनलाईन ADS के माध्यम से आपलोड किये जाने के उपरांत प्रकरण पर विचार किया जायेगा। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

43. प्रकरण क्र. 10729/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री राजेश ठाकुर, निवासी वार्ड नं. 7, देवी मोहल्ला, भैंसदेही, जिला बैतूल (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 7684 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.10 हेक्टेयर, खसरा 166/3, ग्राम घोदिया नई, तहसील भैंसदेही, जिला बैतूल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 729वी बैठक दिनांक 05.01.2024 में अनुशंसा की गई "....प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि उत्तर दिशा- पक्का रोड लगभग 40 मी. की दूरी परस्थित है एवं प्रकरण में ब्लास्टिंग प्रस्तावित है तथा नियमानुसार पक्का रोड से 200 मी. तक का क्षेत्र गैर खनन क्षेत्र छोड़ा जाता है तो लीज एरिया समाप्त हो जाता है। अतः समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि इस स्थिति में इस प्रकरण में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु विचार किये जाने की अनुशंसा नहीं है।.. .." को मान्य करते हुये राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) 843 वी बैठक दिनांक 05.04.2024 में प्रकरण को निरस्त (Reject) किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 850वी बैठक दिनांक 15.05.2024  
का कार्यवाही विवरण

प्रकरण में SEAC की 729वी बैठक दिनांक 05.01.2024 के कार्यवाही विवरण के परीक्षण में पाया गया कि प्रकरण के कालक्रम (Chronology) में प्रस्तावित प्रकरण ( जिला बैतूल )के स्थान पर किसी अन्य प्रकरण ( जिला इन्दौर ) का विवरण निम्नानुसार अंकित है :-

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri Narendra Singh Maan, Partner, M/s TRIMURTI ENTERPRISES, 190, Ajaybag Colony, Indore (MP)
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	13/5 (सरकारी -नॉन फॉरेस्ट लैंड) 2.00 Ha.
स्थल	ग्राम Pipal Khut तसहील Mhow जिला Indore (म.प्र.)
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इंदौर के पत्र क्रमांक 927 दिनांक 28/04/23 के द्वारा स्वीकृत ।
श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी-2
ब्लारिस्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लारिस्टिंग प्रस्तावित है ।
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया इंदौर के पत्र क्रमांक 772 दिनांक 27/02/17 के द्वारा पत्थर-30,000 घनमीटर / वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-40,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार पत्थर-40,000 घनमीटर/वर्ष है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इंदौर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 716 दिनांक 28/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 04.600 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इंदौर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 716 दिनांक 28/03/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इंदौर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 716 दिनांक 28/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/बांध/ स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता /नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत केशरबर्डी जिला इंदौर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-3 दिनांक 20/04/2010 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर शासकीय नियमों/प्रावधानों अनुसार खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा- पक्का रोड लगभग 40 मी. पूर्व पश्चिम दिशा- पक्का रोड लगभग 278 मी. .
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-46 के सरल क्रमांक-69 पर दर्ज है ।

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 850वी बैठक दिनांक 15.05.2024  
का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC के कार्यवाही विवरण में प्रकरण के कालक्रम (Chronology) में जिला बैतूल के स्थान पर जिला इन्दौर कालक्रम (Chronology) अंकित होने के दृष्टिगत प्रकरण को पुनः सुनवाई हेतु मौका दिया जाये व परियोजना प्रस्तावक द्वारा संशोधित अनुमोदित खनन योजना परिवेश पोर्टल पर आनलाईन प्राप्त कर SEAC द्वारा प्रकरण का पुनः परीक्षण किया जाये है। परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

संशोधन -

44. प्रकरण क्र. 10659/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स खजुराहो मिनिरल्स श्री अजय सिंह परमार निवासी 06 किमी. सागर रोड धदारी जिला छतरपुर (म.प्र.) द्वारा पायरोफलाईट एण्ड डायोस्पोर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 5396 टन प्रतिवर्ष रकबा 2.791 हे०, खसरा क्रमांक 303, 304, 305/2, 306 ग्राम गढी तहसील महाराजपुर जिला छतरपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन हेतु प्राधिकरण की 849 वीं बैठक 14.05.2024 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया

"...राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 738वी बैठक दिनांक 22.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण का परीक्षण के दौरान पाया गया कि प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में एक अन्य खदान रकबा 4.50 हे. की स्वीकृत जिस कारण प्रस्तावित खदान को मिलाकर कुल रकबा 5.0 हेक्टेयर से अधिक होता है। चूंकि उक्त प्रकरण में DEIAA छतरपुर द्वारा पर्यावरण स्वीकृति जारी की गई थी, उस समय भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 15.01.2016 अनुसार 25 हेक्टेयर तक के कलस्टर को बी-2 श्रेणी में मान्य किया जाता था। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 15.01.2024 के परिपालन में DEIAA द्वारा जारी पर्यावरण स्वीकृतियों का Re-appraisal किया जाना है जिस कारण DEIAA की पर्यावरण स्वीकृतियों को 25 हेक्टेयर तक बी-2 श्रेणी मानते हुए Re-appraisal कर प्रकरण को बी-2 श्रेणी के अंतर्गत मान्य किया गया।

प्राधिकरण की उक्त बैठक में प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु लिये गये निर्णय के संबंध में पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के परिपालन में खनन हेतु आवेदित प्रकरणों में वे प्रकरण जिनका रकबा 5.0 हेक्टेयर व 5.0 से कम है उन्हें बी-2 श्रेणी में ही मान्य किया जायेगा एवं वे प्रकरण जिनका रकबा 5.0 हे. से अधिक (कलस्टर सहित) है उन्हें बी-1 श्रेणी में मान्य किये जा रहे हैं। इसी प्रक्रिया के अनुसरण में उक्त प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आवेगा, तदनुसार प्राधिकरण द्वारा 849वी बैठक दिनांक 14.05.2024 में लिये गये निर्णय में संशोधन करते हुए प्रकरण पुनः परीक्षण एवं अनुशंसा हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाता है। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

नीतिगत निर्णय :-

म.प्र. गौण खनिज के ऐसे प्रकरण जिनमें SEAC की अनुशंसा अनुसार पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत कुल रकबा में से रकबा कम किया गया है एवं चूंकि रकबा कम करने के कारण उत्पादन क्षमता भी प्रभावित हुई हो। ऐसे प्रकरणों में प्राधिकरण की 846वी बैठक दिनांक 24.04.2024 में पुनरीक्षित अनुमोदित खनन योजना के संबंध में लिये गये नीतिगत निर्णय उपरांत SEAC द्वारा की गई अनुशंसा को मान्य करते हुये निम्नानुसार शर्त के साथ पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन हेतु आवंटित कुल रकबा में से SEAC द्वारा अनुशंसित खनन योग्य रकबा का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

इस संबंध में प्राधिकरण की पूर्व बैठकों में SEAC को प्रेषित किये गये प्रकरणों के संबंध में SEAC एवं खनिज संसाधन संचालनालय तथा म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन को सूचित किया जाये।

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष